STATE HEALTH SOCIETY, BIHAR
राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

बिहार सरकार

परिवार कल्याण भवन, शेखपुरा, पटना - 800 014

Pariwar Kalyan Bhawan, Sheikhpura, Patna- 800 014,

Tel : 0612-2290340, 2281545, Fax: 2290322, website: www.statehealthsocietybihar.org

NATIONAL RURAL HEALTH MISSION

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन

संचिका संख्या SHSB/PM/182/07

पत्रांक............................

प्रेषक : अपर निदेशक

राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार

सेवा में,

M/s M/s Laborate Pharmaceutical India Ltd.,
E-11, Industrial Area,
Panipat – 132103

पटना, दिनांक.....................

विषय : **आपके फर्म द्वारा निर्मित** Methyl Ergometrin Inj.-02ml **बैच नं०** 10MB06 **अवमानक (Not of Standard Quality) पाये जाने के कारण आपके निर्माण संस्थान को काली सूची में दर्ज करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक, राज्य औषधि नियंत्रक, बिहार, पटना के पत्रांक 466(15) दिनांक 26.04.2013 के द्वारा प्रतिवेदित किया है कि आपके फर्म द्वारा निर्मित Methyl Ergometrin Inj.-02ml बैच नं० 10MB06 जो राज्य के जिलों एवं मेडिकल कॉलेजों में आपूर्ति की गई थी, उक्त पाँच बैचों की गुणवत्ता केन्द्रीय औषधि प्रयोगशाला, कलकत्ता में जाँचोपरान्त अवमानक स्तर (Not of Statdard Quality) का पाया गया है।

उक्त के आलोक में निदेशानुसार निदेशित है कि दिनांक 23.05.2013 तक यह स्पष्ट करना चाहेगें कि क्यों नहीं अवमानक स्तर की Methyl Ergometrin Inj.-02ml बैच नं० 10MB06 आपूर्ति करने के आरोप में **आपके निर्माण संस्थान/फर्म को पाँच वर्षो के लिए काली सूची में डालते हुये निर्माण संस्थान/फर्म को राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के किसी भी निविदा में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया जाये।**

साथ हीं निदेशानुसार निदेशित है कि आपके द्वारा जिलों एवं चिकित्सा महाविधालयों में आपूर्ति की गई उक्त बैच की Methyl Ergometrin Inj.-02ml जो बची हुई है उसे अविलम्ब वापस लिया जाये और संबंधित जिलों एवं चिकित्सा महाविधालय अस्पताल को उपरोक्त बैच की जितनी-जितनी Methyl Ergometrin Inj.-02ml आपूर्ति की गयी थी उतनी राशि संबंधित मेडिकल कॉलेज अस्पताल/जिला स्वास्थ्य समिति को 15 दिनों के अंदर बैंक ड्राफ्ट/चेक के माध्यम से वापस करना सुनिश्चित करें जिसमें आपूर्ति की गई Methyl Ergometrin Inj.-02ml बैच नं० 10MB06 का भी राशि सम्मिलित होगा जो जिलों/मेडिकल कॉलेज द्वारा उपयोग कर लिया गया ~~है~~। होगा।

विश्वासभाजन

ह०/-

(अपर निदेशक)

ज्ञापांक.....4327 पटना, दिनांक......22/05/13

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, स्वास्थ्य, बिहार को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : राज्य औषधि नियंत्रक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित करते हुये निदेशित है कि संबंधित निर्माण संस्थान/आपूर्तिकर्त्ता संस्थान पर अवलिम्ब न्यायालय में अभियोजन दायर करते हुये फर्म पर नियमानुसार कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि : श्री अरविन्द कुमार, सिस्टम एनालिस्ट, राज्य स्वा० समिति को सूचनार्थ प्रेषित करते हुये निदेशित है कि पत्र को परिचालनार्थ वेबसाईट पर अपलोड कराया जाये।

प्रतिलिपि : सभी अधीक्षक, मेडिकल कॉलेज अस्पताल/सभी सिविल सर्जन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/5/13

(अपर निदेशक)